Tele No. 06454243314
Fax No. 06454243314
Mobile No.9473077160

समाहरणालय, पूर्णियाँ
सूचना भवन
जन संपर्क कार्यालय

Website: https://www.prdbihar.gov.in
Email ID :dpro.purnia@gmail.com

प्रेस–नोट

पूर्णियाँ 06 मई। प्रतिदिन की भॉति आज भी जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ श्री राजेष कुमार द्वारा चक्रवाती तूफान के पश्चात् राहत एवं विभिन्न मदों के अनुदान के वितरण हेतु लगातार बैठकें की गई। सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर अब तक हुए प्रगति पर विचार विमर्ष किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/जिला स्तरीय सभी संबंधित शाखा एवं विभागों के वरीय पदाधिकारी/सभी प्रखंडों एवं नगर निगम क्षेत्र के लिए प्राधिकृत वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेष दिया गया कि दिनांक 7.5.2015 तक सभी मदों के अनुदान संबंधी वितरण हेतु किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यो को पारदर्षिता के विभागीय निदेषों के आलोक में पूर्ण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन/सूची संबंधितों को उपलब्ध करा दी जाए और जिला के वेबसाईट पर अपलोड भी कराया जाए। जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 8.5.2015 से सभी मदों के अनुदान के वितरण का लक्ष्य निर्धारित कर सभी संबंधितों को तदनुसार आवष्यक तैयारी करने एवं सर्वेक्षित तथ्य के अनुरुप राषि एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी निदेष दिया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक–06.05.2015 से के.नगर के ग्राम पंचायत रहुआ, गंगेली एवं सहारा पंचायत मे विषेष जांच दल के सर्वेक्षणोंपरान्त राहत एवं सहाय्य अनुदान की राषि 5800/– रुपये प्रति परिवार एवं 1 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है ।

जिला पदाधिकारी के द्वारा किए गए क्षेत्र भ्रमण

जिला पदाधिकारी द्वारा हमेषा की भॉति लगातार चक्रवात प्रभावित पंचायतों एवं नगर निगम क्षेत्र के वार्डो का भ्रमण कर सर्वेक्षण कार्यो एवं प्रभावित गॉवों–मुहल्लों का भौतिक रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा नगर निगम के वार्ड सं0– 01 के कृष्णापुरी यादव टोला एवं वार्ड नं0– 04 के रहमत नगर, इस्लाम नगर एवं प्रधान टोला का गृहक्षति एवं राहत अनुदान वितरण/सर्वेक्षण का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया एवं इस कार्य हेतु गठित विषेष जॉच दल द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गयी। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त कर्मी एवं प्रभारी वरीय पदाधीकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि पूरी पारदर्षिता एवं गुणवत्ता के साथ सर्वेक्षण निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण करें तथा यह सुनिष्चित करे कि कोई भी प्रभावित परिवार/कृषक का नाम नहीं छूटे।

पुनः आज दिनांक–06.05.2015 को जिला पदाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 30,31,32 एवं 33 के खैरुगंज, रामबाग, महराजगंज, पूरण देवी एवं चिमनी बाजार का भ्रमण कर प्रभावित परिवारों के सर्वेक्षण का भौतिक सत्यापन किया गया। सर्वेक्षण दल के कार्यों का निरीक्षण कर उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई कि पूरी पारदर्षिता के साथ निर्धारित मापदण्डों पर सर्वेक्षण कार्यों को अविलंब पूरा करें।

कृषि ईनपुट(फसल क्षति अनुदान)/गृह क्षति सर्वेक्षण

कृषि विभाग की टीम के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। जिला पदाधिकारी द्वारा स्वयं फसल क्षति सर्वेक्षण में कार्यरत जांच दल का निरीक्षण क्षेत्र में भ्रमण कर किया जा रहा है तथा आवष्यक दिषा निर्देष भी दिये जा रहे हैं । जिला पदाधिकारी के द्वारा निदेष दिया गया कि कृषि विभाग के सर्वेक्षण टीम हर हाल में दिनांक–07.05.2015 तक सर्वेक्षण सूची उपलब्ध करावें तथा दावा/आपत्ति के आमंत्रण हेतु जिले के वेवसाईट पर अपलोड करायें । गुणवत्तापूर्ण सूची प्राप्ति के साथ ही RTGS के माध्यम से अनुमान्य राषि का भुगतान विधिवत तरीके से कृषकों के बैंक खाता में भेज दी जाए ।

दिनांक–30.03.2015 के आंधी तूफान से प्रभावित फसल क्षति का विवरण निम्न प्रकार है :– कुल प्रभावित कृषकों की संख्या–68944, भौतिक रुप से सत्यापित कृषकों की संख्या–68523, कम्प्यूटराइज्ड कृषकों की संख्या–44651, प्रभावित रकवा–44137.54 हेक्टेयर ।

दिनांक–21.04.2015 को चक्रवात से प्रभावित कृषकों एवं फसल क्षति का विवरण निम्न प्रकार है :– कुल प्रभावित कृषकों की संख्या–57154, भौतिक रुप से सत्यापित कृषकों की संख्या–33273, कम्प्यूटराइज्ड कृषकों की संख्या–5699, प्रभावित रकवा–35149.14 हेक्टेयर ।

इसी प्रकार प्रत्येक क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण भी विषेष जांच दल द्वारा कराया जा रहा है । मकान के क्षति के प्रकारवार निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचनायें संकलित की जा रही है । साथ–ही–साथ प्रत्येक घर का छायाचित्र भी लिया जा रहा है । आगामी 1–2 दिनों में इसका भी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । गृहक्षति के अनुदान की राषि संबंधित प्रभावित परिवार के बैंक खाता में ही RTGS के माध्यम से भेजा जायेगा । अबतक सर्वेक्षित क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या – 62020 है। तथा इसके विरूद्ध 17298 क्षतिग्रस्त मकानों का फोटोग्राफी कर ली गयी है।

भूकंप से प्रभावित गृह क्षति का सर्वेक्षण

दिनांक–25.04.2015 एवं उसके बाद लगातार आये भूकम्प के झटके के लिए तैयार किये गये 15 टीमों द्वारा युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है । जांच दल के द्वारा क्षतिग्रस्त भवनों की सुक्ष्मतापूर्वक जांच की जा रही है । जल्द ही सरकारी/निजी भवनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा होते ही नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । साथ ही सभी सरकारी विद्यालय भवनों का सर्वेक्षण कर आवष्यक मरम्मती की कार्रवाई करने का निदेष जिला षिक्षा पदाधिकारी को दी गई है ।

जिला नियंत्रण कक्ष

राहत एवं सहाय्य अनुदान वितरण, भूकम्प से क्षति एवं इससे संबंधित अन्य षिकायतों के लिए पूर्व से जिलास्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है जिसका दूरभाष संख्या– 06454–241010,241011 एवं 242319 है। सभी आम जन अपनी हर षिकायत एवं सुझाव इस नंबर पर फोन कर दर्ज करा सकते हैं । जिला नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रह कर दर्ज समस्याओं के समाधान के उपरांत आम जनों को उनके दूरभाष/मोबाईल पर कृत कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है । जिससे की जिले के नागरिक काफी उत्साहित है।

राहत एवं सहाय्य कार्यों में षिथिलता एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मी/पदाधिकारी के विरुद्ध की गई अनुषासनात्मक कार्रवाई ।

जिला पदाधिकारी द्वारा राहत एवं सहाय्य के कार्यों में लगातार षिथिलता एवं लापरवाही बरतने के आरोप में कड़ी अनुषासनात्मक कार्रवाई की गई है । इसी क्रम में श्री सुषील कुमार शर्मा, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना में योगदान देने हेतु विरमित किया गया एवं श्री अजय कुमार ठाकुर, वरीय उप समाहर्ता को जिला सूचना एंव जन संपर्क पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है ।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा मो0 हसजाम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, के.नगर/श्री कृषण कमलेष निषाद, कृषि समन्वयक वेला रिकाबगंज, श्री रंजन कुमार, ए0टी0एम0, के.नगर प्रखंड एवं श्री सुजीत कुमार सुमन, किसान सलाहकार, वेला रिकाबगंज से फसलक्षति सर्वेक्षण में अनियमितता हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेष दिया है कि अनियमितता हेतु क्यों नहीं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय । स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक सभी का वेतन/मानदेय स्थगित कर दिया गया है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, पूर्णियाँ सदर को आपदा जैसे संवेदनषील कार्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से वेतन स्थगित कर दिया गया है । श्री बिनोद कुमार, अंचल अधिकारी, के.नगर द्वारा राहत वितरण कार्यों में लगातार उदासीनता बरतने के वजह से इन्हें अपना सम्पूर्ण प्रभार श्री विष्णुदेव मंडल वरीय उप समाहर्ता को सौंप कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में योगदान देने का आदेष दिया गया । श्री योगेन्द्र प्रसाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, बैसा को आपदा जैसे कार्यों में उच्चाधिकारी के आदेषों की घोर अवहेलना करते हुए मनमानीपूर्ण रवैया अपनाने, अनुषासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है । श्रीमति रेणु कुमारी, प्रभारी प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, के.नगर को आपदा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है । स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये जाने तक वेतन भुगतान स्थगित कर दिया गया है ।

वृत चित्र

जिले में आये चक्रवाती तूफान में पूर्णियाँ जिले के कई प्रखंडों एवं नगर निगम, पूर्णियाँ में काफी गृह क्षति हुई जिसमें टीन/एस्बेसटस के छत को ज्यादा नुकसान हुआ है तथा जो गुंबदनुमा आकार का छत था उसे नुकसान नहीं हुआ है । इस संबंध में आम जनों की जानकारी एवं जागरुकता हेतु एक वृत चित्र का निर्माण कराया जा रहा है । जिसकी स्वीकृति जिला पदाधिकारी द्वारा दे दी गई है ।

भूकम्प से बचाव

दिनांक 25.04.2015 को आये भूकम्प के प्रति जन जागरुकता लाने के लिए भूकम्प आने पर क्या करें–क्या न करें की जानकारी देने हेतु जिला पदाधिकारी के आदेषानुसार जिले के सभी पंचायत/पंचायत के मध्य एवं बुनियादी विद्यालय में एवं सभी प्रखंड/सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर होल्डिंग/फ्लैक्स लगाने की स्वीकति प्रदान की गई है ।

चक्रवाती तूफान से घायल व्यक्तियों को चिकित्सा अनुदान भुगतान की स्थिति

दिनांक 25.04.2015 को चक्रवाती तूफान में घायल व्यक्तियों का इलाज सदर अस्पताल, पूर्णियाँ में की गई । कुल 28 घायल को(एक सप्ताह के अन्दर भर्ती रहने पर) एवं स्वस्थ्य होकर घर जाने पर अनुमान्य दर के अनुसार 4300.00(चार हजार तीन सौ) रुपये/प्रति प्रभावित को भुगतान करने का आदेष अंचल पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व/कसबा/के.नगर/बनमनखी/धमदाहा/बी.कोठी/डगरुआ एवं बायसी को दिया गया है ।

पशु(मृत) अनुदान

जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि जिले में मृत पशु का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है । यथाशीघ्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अनुदान भुगतान हेतु सर्वेक्षित सूचि प्रभावित प्रखंडों में भेज दी जायेगी ।

प्रगति प्रतिवेदन

आज दिनांक–06.05.2015 को राहत एवं सहायय अनुदान से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :– अब तक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रभावित परिवारों की संख्या–156765 के विरुद्ध राहत एवं सहायय अनुदान प्राप्त कराये गये परिवारों की संख्या–114254, 1 क्विंटल खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या–75438 है ।

जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्णियाँ